

१. प्रस्तावना:

वर्तमान में हिंद इनर्जी एण्ड कोल बैनीफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2×1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष शुष्क प्रकार (झाय टाइप) कि कोल वॉशरी का ग्राम: हिंडाडीह, तहसील: मस्तूरी, जिला: बिलासपुर में संचालन किया जारहा है। इस हेतु केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/ 190/ 2007-IA II (M) दिनांक 24.26.2008 पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कम्पनी द्वारा विद्यमान परिसर में क्षमता विस्तार प्रस्तावित है। जिसके तहत 1×1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष गीले प्रकार (वैट टाइप) कि कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है; इस क्षमता विस्तारोपरांत कम्पनी कि कुल संस्थापित क्षमता 3.6 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जावेगी। वर्तमान में 27.42 एकड़ भूमि उद्योग प्रबंधन के अधिकार में है।

विद्यमान एवं प्रस्तावित संयंत्र की श्रेणीवार वार्षिक उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है:

fooj.k	{kerk}/मिलियन टन प्रति वर्ष		
	Lfkfifir {kerk}	i Lrkfor {kerk}	dy {kerk}
आर.ओ.एम. कोयले का धोना	2.4	1.2	3.6

प्रस्तावित क्षमता विस्तार के लिए नाबेट, क्वालिटी कांउसिल ऑफ इंडिया द्वारा कोल वाशरी हेतु इ.आइ.ए. अध्यन हेतु प्राधिकृत मे. पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित 'टर्म्स् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर) को समाविष्ट करते हुए त्वरित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- ए. प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक (जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर) के विशिष्ट गुण की वस्तुस्थिति।
- बी. प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, तरल एवं ठोस अवशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।
- सी. प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय के साथ पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई.एम.पी.)।
- डी. परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण रिपोर्ट।

२. परियोजना स्थल का विवरण:

- प्रस्तावित परियोजना स्थल केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के कार्यालयिन आदेश दिनांक 13.01.2010 में अधिसूचित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं आता है।
- प्रस्तावित परियोजना स्थल से निकतस्ट ग्राम: भद्रपारा है। जिसकी दूरी परियोजना स्थल से 1.0 कि.मी. है।
- परियोजना स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रिय उद्यान, वन्य जीव एवं पक्षी अभयारण्य, बाघ संरक्षीत क्षेत्र, हाथियों का आवगमन क्षेत्र, पक्षियों का आवगमन क्षेत्र नहीं है।
- प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. परिधी में ऐतिहासिक रूप से या अन्य कोई पर्यटन के रूप से महत्वपूर्ण स्थल नहीं है।
- 10 कि.मी. त्रिज्या स्थल में बिटकुली सरक्षित वन 2 कि.मी. की दूरी पर है तथा दल्हा आरक्षित वन 6 कि.मी. दूरी पर है।
- प्रस्तावित स्थल में वन भूमि नहीं है।
- परियोजना स्थल से लगभग 3.3 कि.मी. दूरी पर लिलागार नदी जो की मौसमी नदी (गैर वार्षिक) बहती है।
- परियोजना स्थल में से कोई भी नदी अथवा अन्य जल स्रोत नहीं बहते हैं।
- परियोजना स्थल से पांच कि.मी. की दूरी पर कुरुंग तालाब से बाईं नहर स्थित है।
- परियोजना स्थल से 3.1 कि.मी. की दूरी पर एन.टी.पी.सी. का कोयला आधारित ताप विद्युत गृह है। इसके अलावा अन्य कोई भी औद्योगिक इकाई 10 कि.मी. त्रिज्या में नहीं है।

३.० परियोजना का विवरण:

3.1 कच्चे माल की मात्रा : -

प्रस्तावित परियोजना के लिये लगने वाले कच्चे माल की मात्रा निम्नलिखित है :

कच्चा माल का नाम	वार्षिक आवश्यकता (टन प्रति वर्ष)	प्रदाय स्रोत
कोयला	1.2	एस.ई.सी.एल., बिलासपुर (लिंकेज / निलमी / खुला बाजार)

3.2. उत्पादन पद्धति – कोल वॉशरी:

इस इकाई में खदान से प्राप्त कोयले (आर.ओ.एम.) को तोड़कर, छानकर तथा धोकर 34 प्रतिशत से कम राखड़ वाला कोयला प्राप्त किया जाता है। क्षमता विस्तार के तहत एक गीले प्रकार (वैट टाइप) की कोल वाशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण शुष्क प्रकार की वाशरी कि अपेक्षा

पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम रहेगी। परियोजना में क्लोज्ड लूप सरकुलेशन सिस्टम लगाया जाएगा जिसके कारण दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा तथा शून्य निस्तारण संकल्प जिसका हम विद्यमान संयंत्र में पालन कर रहे हैं, उसका परिपालन सुनिश्चित होगा।

प्रस्तावित क्षमता विस्तार परियोजना में आर.ओ.एम. कोल को एक दंतीय रोल क्रशर से तोड़कर ज़िग पद्धति से साफ किया जाएगा। जिसके कारण धुला हुआ कोयला तथा मिड्लिंग्स तथा रिजैक्ट्स प्राप्त होगे।

3.3. जल कि आवश्यकता:

प्रस्तावित क्षमता विस्तार के लिए अनुमानित जल की खपत 585 घन मीटर प्रतिदिन है तथा क्षमता विस्तार के बाद (विद्यमान + प्रस्तावित इकाई) जल की कुल खपत 625 घन मीटर प्रतिदिन होगी। जिसमें कोल वॉशरी में उपयोग होने वाले मेकअप एवं घरेलु जल की आपूर्ति संलग्न है। अनुमानित जल की पूर्ति भू-जल स्त्रोत से किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी अनुमति हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधीकरण में आवेदन लंबित है। श्रेणीवार जल खपत का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०	विवरण	मात्रा (घन मीटर प्रतिदिन)
1.	कोल वॉशरी हेतु मेकअप वॉटर कि मात्रा	575
2.	घरेलू	10
	कुल	585

3.4 दूषित जल का उत्सर्जन :

प्रस्तावित क्षमता विस्तार में क्लोज्ड चैनल सर्किट का लगाया जाएगा जिससे प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा।

परियोजना से उत्पन्न निस्त्राव में केवल घरेलु दूषित जल का समावेष होगा जिसकी मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। इसके उपचार हेतु सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट का बनाया जाना प्रस्तावित है।

क्र०	विवरण	मात्रा (घन मीटर प्रतिदिन)
1.	घरेलू	8.0
	कुल	8.0

3.5 निस्त्राव जल की गुणवत्ता:

अनुमानित निस्त्राव के गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:

गुणात्मक विश्लेषण

गुण	सांदर्भता
पी.एच.	7.0 – 8.5
बी.ओ.डी.	200 – 250
सी.ओ.डी.	300 – 400
टी. डी.एस.	800 – 900

4.0 पर्यावरण का विवरण:

प्रस्तावित परियोजना स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परिवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़—पौधे, जीव—जन्तु एवं समाजिक—आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

4.1 परिवेशीय वायु गुणवत्ता

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर एक मौसमीय (3 महीने तक) 8 स्टेशनों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम._{2.5} एवं पी.एम.₁₀), सलफर डायऑक्साइड और ऑक्साडस् ऑफ नाइट्रोजन का मापन किया गया। मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	सांदर्भता
1.	पी.एम. _{2.5}	18.4 से 28.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2.	पी.एम. ₁₀	30.8 से 47.2 माइक्रोग्राम/घन मीटर
3.	एस.ओ. ₂	6.9 से 13.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4.	एन.ओ. _x	7.9 से 17.2 माइक्रोग्राम/घन मीटर

4.2 जल गुणवत्ता

8 अलग अलग जगहों पर भूजल के साथ सतही जल स्त्रोंतों के नमूने लिए गए जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि भू—जल पीने योग्य है; अर्थात् सभी नमूने आई एस: 10500 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

4.3. ध्वनि स्तर

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 42.10 डी.बी. (ए.) से 50.40 डी.बी. (ए.) पाया गया है।

५.० पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वावांकलन तथा रोकथामः

५.१ वायु गुणवत्ता पर प्रभावों का पूर्वावांकलनः

प्रस्तावित संयंत्र से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पी.एम.₁₀, सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इन कारकों की आई.एस.सी.एस.टी.-३ मॉडल द्वारा भूस्तर पर सांद्रता निकाली गई। अन्य कारकों (जैसे तापमान, हवा के बहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मैट्रियोलौजिकल पैरामिटर्स) भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया। प्रस्तावित संयंत्र के संचालनोपरांत परिवेशीय वायु गुणवत्ता पर प्रभावों के आंकलन हेतु प्रस्तावित संयंत्र की चिमनी से उत्सर्जन तथा फ्यूजिटिव उत्सर्जन का समावेश किया जाए।

संगणित परिणामों से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित संयंत्र के संचालनोपरांत भूस्तर पर इन कारकों की जैसे पी.एम.₁₀, सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता ०.०२ माइक्रोग्राम/घन मीटर, ०.५ माइक्रोग्राम/घन मीटर एवं ०.४ माइक्रोग्राम/घन मीटर क्रमशः हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित स्थल से ६७५ मीटर पर पाई गई। जैसा कि संगणित परिणाम तथा संचालन उपरांत परियोजना से तथा आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों से उत्सर्जित पी.एम.₁₀, सल्फर डाय औक्साइड एवं औक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है अतः प्रस्तावित संयंत्र से वायु गुणवत्ता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

५.२ ध्वनि स्तर पर प्रभाव

प्रस्तावित क्षमता विस्तार से ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत डी.जी. सैट एवं क्रशर हैं। परिवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मत्रांलय कि अधिसूचना दि: १४.०२.२०००, ध्वनि प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम २००० के मानदण्डो के अनुरूप है यानी दिन में ७५ डी.बी. (ए.) एवं रात में ७० डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग ९.१ एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा।

5.3 जल पर्यावरण पर प्रभाव

प्रस्तावित क्षमता विस्तार क्लोज्ड सर्किट सिस्टम के लगाये जाने के कारण कोल वॉशरी से दूषित जल का निस्तारण नहीं होगा। परियोजना से केवल घरेलु दूषित जल का उत्सर्जन होगा जिसे सैटिक टैंक एवं सोक पिट द्वारा उपचारित किया जाएगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु जल आपूर्ति भू-जल स्त्रोत द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधीकरण में अनुज्ञा लंबित है। वर्षा जल का भण्डारण एवं भूजल स्तर को बढ़ाने हेतु केन्द्रिय भू-जल मण्डल का परामर्श लिया जावेगा। अतः जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। वर्षा जल संरक्षण हेतु भू-जल रिचार्ज पिट (गढ़डे) बनाया जाना प्रस्तावित है इससे क्षेत्र के भू-जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। अतः इससे परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं।

5.4 भू पर्यावरण पर प्रभाव

प्रस्तावित कोल वॉशरी से उत्सर्जित निस्त्राव को भू अपवहन मापदण्डानुरूप उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य बहिस्त्राव कि स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही – सही स्थापना एवं संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के मापदण्डानुसार किया जाने का प्रस्ताव है। साथ ही 9.1 एकड़ भूमि पर संधन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

5.6 सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

प्रस्तावित क्षमता विस्तार के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लागो को रोजगार अनेक अवसर बनेंगे। जिसके कारण सामाजिक-आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगाने से भविष्य में इस क्षेत्र का विकास होगा।

६. पर्यावरण अनुवीक्षण कार्यक्रम:

परियोजना—उपरांत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन प्रस्तवति है, जो कि निम्न प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	अनुवीक्षण आवृत्ति	नमूने लेने कि अवधि	पैरामीटर
1 जल तथा निस्त्रव कि गुणवत्ता				
	जल गुणवत्ता	मासिक	ग्रॅब नमूने (24 घण्टे)	आई एस : 15000
2 वायु गुणवत्ता				
a.	स्टैक	ऑन—लाइन मासिक		एस. पी.एम. एस.ओ ₂ , एन. ओ _x
b.	परवेशीय वायु गुणवत्ता	सप्ताह में दो बार	24 घण्टे लगातार	आर. पी.एम., एस. पी.एम. एस.ओ ₂ , एन. ओ _x
c.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	मासिक	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
3 मौसमिय कारक				
d.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार	तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु कि गति एवं दिशा
4 शोर मापन				
e.	परवेशीय ध्वनी स्तर	वर्ष में दो बार	1 घण्टे के अंतराल में 24 घण्टे लगातार	

७. परियोजना के लाभ:

प्रस्तावित संयंत्र के कारण नए रोजगार के अवसर बनेंगे, साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों को लाभ होगा।

प्रस्तावित क्षमता विस्तार में संचालन हेतु 75 कर्मचारियों का नियोजन एवं निर्माण हेतु 150 कर्मचारियों का नियोजन किया जाना प्रस्तावित है। अर्ध—कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जावेगी। प्रस्तावित परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होगा जो कि अंततः राष्ट्रहित में होगा।

८. पर्यावरण प्रबंधन के उपाय:

८.१ वायु पर्यावरण:

वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक	इकाई	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	गारंटिकृत डस्ट उत्सर्जन कि मात्रा
1.	कोल क्रशर	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम	50 मि.ग्रा./घन मीटर से कम

प्रस्तावित परियोजना में प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत अनलोडिंग क्षेत्र, तथा कायले की क्रशिंग तथा स्थानांतरण बिंदु है। अनलोडिंग क्षेत्र में फ्युजिटिव उत्सर्जन की रोकथाम हेतु डस्ट सपरेशन सिस्टम का लगाया जाना प्रस्तावित है। सभी स्थानांतरण बिंदुओं को पूर्णतः ढककर एकत्रित धूल को उच्च दक्षता वाले बैग फिल्टर में भेजा जाएगा। यहां से साफ हवा को उपयुक्त ऊँचाई वाली चिमनी द्वारा वायु मण्डल में छोड़ा जाएगा।

8.2 जल पर्यावरण:

प्रस्तावित क्षमता विस्तार क्लोज्ड सर्किट सिस्टम के लगाये जाने के कारण कोल वॉशरी से दूषित जल का निस्तारण नहीं होगा। परियोजना से केवल घरेलु दूषित जल (8.0 कि.ली./दिन) का उत्सर्जन होगा जिसे सैटिक टैंक एवं सोक पिट द्वारा उपचारित किया जाएगा। प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु जल आपूर्ति भू-जल स्त्रोत द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु केन्द्रीय भू-जल प्राधीकरण में अनुज्ञा लंबित है। वर्षा जल का भण्डारण एवं भूजल स्तर को बढ़ाने हेतु केन्द्रीय भू-जल मण्डल का परामर्श लिया जावेगा। अतः जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। वर्षा जल संरक्षण हेतू भू-जल रिचार्ज पिट (गढ़े) बनाया जाना प्रस्तावित है इससे क्षेत्र के भू-जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। अतः इससे परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं।

8.3 ध्वनि पर्यावरण :

प्रस्तावित क्षमता विस्तार से ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत डी.जी. सैट एवं क्रशर हैं। परिवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मत्रांलय कि अधिसूचना दि: 14.02.2000, ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के मानदण्डो के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम होगी। प्रस्तावित संयंत्र स्थल लगभग 9.1 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है जिससे ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में कमी आएगी और आसपास के क्षेत्रों में ध्वनि प्रभाव न्यूनतम रहेगा।

8.4. भू पर्यावरण :

प्रस्तावित कोल वॉशरी से उत्सर्जित निस्त्राव को भू अपवहन मापदण्डानुरूप उपचारित किया जाना प्रस्तावित है। शून्य बहिस्त्राव कि स्थिति रखा जाना प्रस्तावित है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही – सही स्थापना एवं संचालन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के मापदण्डानुरूप किया जाने का प्रस्ताव है। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के मापदण्डानुसार किया जाने का प्रस्ताव है। साथ ही 9.1 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समूचित सौदर्यकरण तथा लैडर्स्कैपिंग पद्धति का अनुसारण किया जाएगा।



हिंद इनर्जी एण्ड कोल बैनीफिकेशन प्रा. लिमिटेड

पर्यावरणीय समघात निर्धारण रिपोर्ट का कार्यपालक सार

ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था :

क्र०	ठोस अपशिष्टों का प्रकार	मात्रा (मि. टन प्रति वर्ष)	अपवहन व्यवस्था
1.	कोल वॉशरी रिजेक्ट्स	0.42	विद्युत उत्पादन इकाई को बेचा जाना प्रस्तावित है।

8.6 ग्रीन बेल्ट :

प्रस्तावित परिसर में लगभग 9.1 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण का प्रस्ताव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रस्तावित राशि रु 1.0 करोड़ है।

8.7 क्रैप सिफारिशों का क्रियानवयन :

प्रस्तावित संयंत्र में क्रैप सिफारिशों का सख्ती से क्रियानवयन प्रस्तावित है।

8.7. संचालनोपरांत पर्यावरण अनुवीक्षण :

स्टैक अनुवीक्षण, व्यापक परवेशीय वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण तथा, निस्त्राव की गुणवत्ता अनुवीक्षण केन्द्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है तथा अनुवीक्षण रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में नियमित रूप से प्रस्तुत की जावेगी।
